Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 15-12-2006

Participants : Sangwan Shri Kishan Singh

>

Title: Problems being faced by the freedom fighters in the country.

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : मैडम, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जो आज देश में फ्रीडम फाइटर के साथ हो रहा है, उसे आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, कुर्बानियां दीं, उनकी स्थिति आज देश में बहुत ही दयनीय चल रही है। आर्थिक, सामाजिक एवं हर दृटि से उनकी उपेक्षा हो रही है। हमें बहुत से फ्रीडम फाइटर्स मिले, वैसे तो बहुत गिनती के ये रह गए हैं, ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स भगवान को प्यारे हो गए हैं, गिनती के गिने चुने ही बचे हैं। ये लोग मुझे मिले और इन्होंने मुझे कहा कि सरकार के नोटिस में लाएं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। उन्होंने यह मांग की है कि एक तो जो पेंशन फ्रीडम फाइटर्स को मिलती है, उनके मरने के बाद उनके आश्रित जो बच्चे हैं, आटोमेटिकली उनकी पेंशन उन्हें ट्रांसफर हो जाए ताकि उन्हें दर-दर के धक्के न खाने पड़ें। दूसरा, जब हर वर्ग के लोगों को विशेा पैकेज मिल रहे हैं तो इन्हें भी मिले। फ्रीडम फाइटर्स की जो केटेगिरी है, यह देश के लिए गर्व की बात है। इनकी स्थिति को देख कर भी इन्हें विशेा पैकेज मिलना चाहिए। अगली बात नौकरी की है, ये कितने लिमिटेड परिवार हैं तो भी आज तक हम फ्रीडम फाइटर्स के परि वारों को नौकरी में कोई आरक्षण नहीं दे सके।[rep66]

20.00 hrs.

महोदया, फ्रीडम फाइटर को एक्स-सर्विसमैन के साथ आरक्षण दे रखा है। इन्हें उस कैटेगरी में डाल रखा है। वे कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर का अलग से आरक्षण होना चाहिए। उनके मान-सम्मान के लिए सरकार उनके परिवारों को राट्रीय परिवार घोाित करे ताकि वे अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर सकें और वे समझ सकें कि हम राट्रीय धरोहर हैं। उन्हें देखकर हर आदमी आइडेंटीफाई कर सके कि यह परिवार फ्रीडम फाइटर का परिवार है और राट्र का सम्मान है।

महोदया, माननीय मंत्री हांडिक जी यहां बैठे हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों को "वन रैंक वन पैंशन" देने का मामला सदन में बार-बार उठाता रहा हूं। ... (व्यवधान)

सभापति महोदया : सांगवान जी, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। फ्रीडम फाइटर के साथ एक्स-सर्विसमैन को आप क्यों जोड़ रहे हैं। फ्रीडम फाइटर में एक्स-सर्विसमैन नहीं आता है।

श्री किशन सिंह सांगवान : सभापति महोदया, फ्रीडम फाइटरों से ही यह मामला भी जुड़ा हुआ है। इस बारे में मेरी मंत्री जी से बात हुई है और इन्होंने आश्वासन भी दिया था। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि "वन रैंक वन पेंशन" का सिद्धान्त लागू तो हुआ है, लेकिन ऊपर की कैटेगरीज में ही अभी लागू हुआ है, जो जूनियर ऑफीसर्स हैं उन पर वह अभी तक लागू नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बारे में पूरा ध्यान देकर इसे जूनियर ऑफीसर्स पर भी लागू कराएं।